

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा

मुकुटबेदार

बनाम

सरका

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 89,89,188 RTAct नं. 193 / दावा / सन 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लागूता में जारी हुए
11/8/24	वाद पत्र सरस्ते से बाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्जे सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 30/8/24 को पेश हो। ✓	
30/8/24	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादीगण की तलबी रिपोर्ट अग्रपु / पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 24/9/24 को पेश है। ✓	
24/9/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उमय पक्ष उपस्थित है। आज प्रांश उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवशा बाहर दारे में तशरीफ रखते हैं। पत्रा कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्वलेन्स पर है। अतः पत्रावली ताबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24/9/24 को पेश है। ✓	
26/9/24	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई पार्थी की जवाबदारी भूमि-खण्ड 1980/1034 रकबा 0.2779 हेक्टे. व खण्ड 1995/1986 रकबा 0.4290 हेक्टे. कुल खिता 2 कुल रकबा 0.7069 हेक्टे. को जम देसुन्दा लिखित है जिसमें पार्थी का नाम मुकुटबेदार शोधेश्याम शोधेश्याम जाति मीणा दर्ज है जमा है जमानी पार्थी के पिता का नाम शोधेश्याम नहीं होकर राधा किशन है जिसे फुल्ट फामाया जावे। तहसीलदार तालेडा से प्रकरण में वास्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार शोधेश्याम व राधा किशन एक ही व्यक्ति होना अकार उपमा जमा है।	

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कार्यालय तहसील
क्रमांक :- १०३१०/२४/१५

अतः तहसीलदार तालेडा दाप पावुतीपोठ
के आधी पा पा०प३ प्राथी स्वीकार
किया जाऊ - भूमि एकाका सं. ३३२ वाले
ग्राम देवुन्दा संवत् २०१६ अे प्राथी कुनाम
मुकुटबिहारी आ० शंकरायाम ठर्फ राधाकिशन
किया जाता हॉ अन्य प्रतिष्ठिया यथावत रहेगी
पडावली फौजल शुमा होमा नम्या से
कम हो। बाद तालील तकगील मिशमानुकार
कारिल दफ्त हो


सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या...९/.....


अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या...९/.....
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)